



# भारतीय कपास निगम लिमिटेड THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम - वस्त्र मंत्रालय) रूडा बिल्डिंग,, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड- राजकोट- 360001

(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

**Ruda Building 5<sup>th</sup> Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001**

Telephone No 2441629/2477560. Fax No. 0281-2458621

E-mail: [rajkot@cotcorp.com](mailto:rajkot@cotcorp.com) Web site: <http://www.cotcorp.org.in>, [www.ministryoftextiles.gov.in](http://www.ministryoftextiles.gov.in)



दिनांक : 11.08.2017

## शोर्ट टर्म टेण्डर नोटिस

निगम शाखा कार्यालय राजकोट के अधीनस्थ केन्द्रों/गोदामों से एन.टी.सी मिलों तक रूई की गांठों के परिवहन हेतु अल्प अवधि निविदा आमंत्रित करता है । टेण्डर फॉर्म, नियम व शर्तों का प्रोफॉर्मा निगम के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है । इच्छुक ट्रान्सपोर्टर्स जिनकी 8.00 लाख रुपये की बैंक गारंटी निगम के किसी भी कार्यालय में जमा है या निविदा जमा करवाने के निर्धारित समय तक जमा करवाना चाहते हैं, वे निर्धारित फॉर्म में टेण्डर भरकर दिनांक 16.08.2017 को सुबह 12:00 बजे तक बंद लिफाफे में शाखा कार्यालय, राजकोट के उपरोक्त पते पर प्रस्तुत कर सकते हैं । इस टेण्डर की दरें दिनांक 16.08.2017 से 30.09.2017 तक लागू रहेंगी । टेण्डर उसी दिन दिनांक 16.08.2017 को दोपहर 12:30 बजे उपस्थित ट्रान्सपोर्टर्स के समक्ष खोले जायेंगे । निगम किसी भी टेण्डर का आंशिक / पूर्ण रूप से स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है ।

अल्प अवधि निविदा संबंधी टेण्डर फॉर्म, नियम एवं शर्तों की पूर्ण जानकारी निगम की वेबसाइट [www.cotcorp.org.in](http://www.cotcorp.org.in) एवं सरकारी वेबसाइट <http://eprocure.gov.in> पर भी उपलब्ध है ।

**उप महा प्रबंधक**

पंजीकृत कार्यालय : कपास भवन, प्लॉट नं. 3A, सेक्टर नं. 10, CBD - बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614

REGISTERED OFFICE : KAPAS BHAVAN, PLOT NO. 3A, SECTOR NO. 10, CBD - BELAPUR NAVI MUMBAI - 400 614

दूरभाष / PHONE : 022-2757 9217, फैक्स / FAX 022-2757 6030 (ई-मेल : [headoffice@cotcorp.com](mailto:headoffice@cotcorp.com) Website : <http://www.cotcorp.org.in>)

(कॉर्पोरेट पहचान सं. /CIN : U51490MH1970GOI014733)



# भारतीय कपास निगम लिमिटेड THE COTTON CORPORATION OF INDIA LTD.

(भारत सरकार का उपक्रम - वस्त्र मंत्रालय) रुडा बिल्डिंग,, पाँच वी मंजिल, जामनगर रोड- राजकोट- 360001

(A Govt.of India Undertaking-Ministry of Textiles)

**Ruda Building 5<sup>th</sup> Floor, Jamnagar Road, RAJKOT-360001**

Telephone No 2441629/2477560. Fax No. 0281-2458621

E-mail: [rajkot@cotcorp.com](mailto:rajkot@cotcorp.com) Web site: <http://www.cotcorp.org.in>, [www.ministryoftextiles.gov.in](http://www.ministryoftextiles.gov.in)



टेण्डर फॉर्म नंबर	:	.....
टेण्डर फॉर्म जारी करने की दिनांक	:	<u>11.08.2017</u>
टेण्डर फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम दिनांक	:	16.08.2017 सुबह 11:00 बजे तक
टेण्डर प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	:	16.08.2017 सुबह 12:00 बजे तक
टेण्डर खोलने की दिनांक	:	16.08.2017 दोपहर 12:30 बजे

**रुई की गांटो के परिवहन कार्य का फॉर्म वर्ष 2016-2017 अवधि 16.08.2017 से 30.09.2017 तक**

1. ट्रान्सपोर्ट का नाम, पत्ता एवं टेलीफॉन नंबर : .....
2. ट्रान्सपोर्ट के साझेदारों का नाम : .....
3. ट्रान्सपोर्टर के प्रतिनिधि का नाम : .....
4. बैंक का नाम व गारंटी संख्या : .....
5. बैंक गारंटी की वैधता दिनांक : .....
6. **GST** रजिस्ट्रेशन नंबर  
(फोटोप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करें) : .....
7. स्थाई पत्ता व दूरभाष संख्या : .....
8. **PAN** नंबर  
(फोटोप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करें) : .....
9. स्वयं के ट्रको की संख्या तथा  
अनुबंधित ट्रको की संख्या : .....

हस्ताक्षर एवं पदनाम व स्टॉम्प के साथ

दिनांक : .....

स्थान : .....

पंजीकृत कार्यालय : कपास भवन, प्लॉट नं. 3A, सेक्टर नं. 10, CBD - बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614

REGISTERED OFFICE : KAPAS BHAVAN, PLOT NO. 3A, SECTOR NO. 10, CBD - BELAPUR NAVI MUMBAI - 400 614

दूरभाष / PHONE : 022-2757 9217, फैक्स / FAX 022-2757 6030 (ई-मेल : [headoffice@cotcorp.com](mailto:headoffice@cotcorp.com) Website : <http://www.cotcorp.org.in>)

(कॉर्पोरेट पहचान सं. /CIN : U51490MH1970GOI014733)

# भारतीय कपास निगम लिमिटेड, शाखा कार्यालय - राजकोट

## शोर्ट टेन्डर फॉर्म

दिनांक 16.08.2017 से 30.09.2017 तक

ट्रान्सपोर्टर का नाम एवं पता -----  
-----  
-----

राजकोट का पता -----  
-----  
-----

फोन / फैक्स/ मोबाईल नं: -----  
-----

क्रम	गंतव्य स्थान	दर प्रति गांठ लॉडिंग/अनलॉडिंग के साथ TO PAY	
		जूनागढ जिला के सभी केन्द्र से(केवल परिवहन दर)	बोटाद जिला के सभी केन्द्र से(केवल परिवहन दर)
1	भोपाल(MP)		
2	बुरहानपुर(MP)		
3	अहमदाबाद(Gujarat)		

1. मैने निगम की संलग्न नियम एवं शर्ते पढ ली है ।
2. परिवहन दरों में लॉडिंग / अनलॉडिंग शामिल है ।
3. **GST** मिल द्वारा देय रहेगा जो कि, उपरोक्त दरो में शामिल नहीं है ।
4. यह दरें दिनांक 16.08.2017 से 30.09.2017 तक लागू है ।

ट्रान्सपोर्टर का नाम, हस्ताक्षर एवं सील

स्थान : -----

दिनांक : -----

**(To be given on the printed letter head of the transporter)**

To,  
**The Dy. Gen. Manager,**  
The Cotton Corporation of India Ltd.,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Sub: **Authority letter for negotiation / finalization of transportation rate and capacity for Cotton Season 2016-2017.**

Sir,

We hereby authorised Shri \_\_\_\_\_

(Name) \_\_\_\_\_ (Designation) on behalf of M/s.  
\_\_\_\_\_ negotiation and finalization of  
Transportation rate for Cotton Season 2016-2017.

Further, we submit that we are sole proprietor / partnership / limited company and we have full authority to authorizes Shri \_\_\_\_\_ our representative whose specimen signature as given herebelow.

(\_\_\_\_\_)  
Specimen Signature

We agree to all terms and conditions of the Tender.

Thanking you,

Yours faithfully,

(Signature of the authorized Signatory)

Name & Designation : \_\_\_\_\_

Name of the Transporter : \_\_\_\_\_

Seal of the Transporter: \_\_\_\_\_

## **Declaration under Section 194C(6) for Non-deduction of Tax at Source**

To  
The Dy. General Manager,  
M/s. The Cotton Corporation of India Ltd.,  
**B. O. Rajkot.**

I, Mr. \_\_\_\_\_, (Proprietor/Partner/Director) of M/s \_\_\_\_\_ (Name of the Transport Company) Address \_\_\_\_\_ (hereinafter "the contractor") do hereby make the following declaration as required by sub section (6) of Section 194C of the Income Tax Act, 1961 for receiving payments from the payer **without deduction of tax at source**:

1. That I/We am/are authorized to make this declaration in the capacity as Proprietor/Partner/Director.
2. That the contractor is engaged by the payer for playing, hiring or leasing of goods carriage for its business.
3. That the contractor does not own more than ten goods carriage as on date.
4. That if the number of goods carriages owned by the contractor exceeds ten at any time during the previous year 2017-18 (01-04-2017 to 31-03-2018), the contractor shall forthwith, in writing intimate the payer of this fact.
5. That the Income Tax Permanent Account Number (PAN) of the contractor is \_\_\_\_\_. A photocopy of the same is furnished to the payer along with this declaration.
6. The contractor hereby gives an undertaking to submit duly prescribed form of declaration as notified by the Income Tax Department.

Place:

Dated:

Declarant

### **VERIFICATION**

I the above named declarant do hereby verify that the contents of paragraphs one to five above are true to my own knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed in it.

Place:

Dated:

**Name of the Declarant along with Rubber Stamp**

# भारतीय कपास निगम लिमिटेड, राजकोट (गुजरात)

दिनांक : 11.08.2017

## रूई की गांठे प्रेषित करने एवं टेण्डर भरने के लिये शर्तें

निगम शाखा कार्यालय राजकोट के अधीनस्थ केन्द्रों/गोदामों से एन.टी.सी मिलों तक रूई की गांठों के परिवहन हेतु अल्प अवधि निविदा आमंत्रित करता है। टेण्डर इस कार्यालय में दिनांक 16.08.2017 को सुबह 12.00 तक सीलबंद लिफाफे में जिसके उपर रूई की गांठो के परिवहन हेतु शोर्ट टेण्डर लिखा हुआ पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित समय के बाद प्राप्त टेण्डर पर विचार नहीं किया जायेगा। टेण्डर उसी दिन दोपहर 12.30 बजे उपस्थित ट्रान्सपोर्टर्स/टेण्डर्स दाता या प्रतिनिधि के समक्ष खोले जायेंगे। टेण्डर की शर्तें निम्नलिखित है :

1. परिवहक प्रतिष्ठित होना चाहिए और कपास गांठो की हैंडलींग / कपास गांठो के लिये पैकिंग सामग्री की हैंडलींग का अनुभव होना चाहिए। परिवहक का नेटवर्क एक से अधिक राज्यों में होना चाहिए।
2. परिवहक को वाहन प्रोफाईल के साथ सहकारी बैंक को छोड़कर किसी राष्ट्रीय / अनुसूचित बैंक के निर्धारित प्रोफॉर्मा में आठ लाख रुपये की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी। परिवहक अपनी बैंक से अनुरोध करेगा की बैंक गारन्टी को पंजीकृत डाक से निगम को सीधे भेजा जाये। बैंक गारन्टी टेण्डर खोलने की तिथि से मान्य तथा लागू समय तक वैध होनी अनिवार्य है।
3. सभी गांठें ट्रान्सपोर्टर्स को सडक परिवहन द्वारा ही भेजनी पडेगी। यह किसी भी कारणवश सडक के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजी जा सकती। इसके लिए ट्रान्सपोर्टर को अपनी न्यूनतम दर प्रति गांठ देनी पडेगी। ट्रान्सपोर्टर द्वारा दी गई दर प्रति गांठ में लोडिंग/अनलोडिंग व अन्य उचित खर्चे (इन्सीडेंटल खर्च) शामिल होंगे। तथापि जहां कहीं अपर लोडिंग चार्ज लागू होगा उसका वहन ट्रान्सपोर्टर द्वारा किया जायेगा। लदाई तथा उतराई खर्च का भुगतान परिवहक द्वारा केन्द्र पर लागू दरों के अनुसार करना होगा। ट्रान्सपोर्टर द्वारा टेण्डर में एक बार भरी गई दर फाईनल मानी जायेगी और निगम इस टेण्डर की अवधि के दौरान किसी भी ट्रक यूनियन द्वारा रेट बढ़ाये जाने पर, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल, टायर व अन्य कलपूर्जों के रेट बढ़ाने या कोई टेक्स पर जिम्मेवार नहीं होगा। उस हाल में भी ट्रान्सपोर्टर उन्हीं दरों पर काम करने के लिए बाध्य होगा। अतः टेण्डर में एक बार भरी गई दर समस्त अवधि के दौरान किसी भी कारणवश तब्दील नहीं की जा सकती।
4. गांठे द्वार प्राप्ति (डोर डिलीवरी) के आधार पर बुक की जायेगी। दिये गये केन्द्रों से गांठे उठाकर गंतव्य स्थान का पता, जो भी हो पहुँचानी होगी। यदि गंतव्य स्थान पर पहुँच कर गांठों की डिलीवरी देने का स्थान बदल दिया जाता है तो ऐसी हालत में 50 किलोमीटर तक की डाईवर्शन के लिए ट्रान्सपोर्टर को कोई डाईवर्शन चार्ज नहीं दिया जायेगा।
5. गांठे गंतव्य स्थान पर ट्रको के पहुँचने की प्राथमिकता के आधार पर उतरवाई जायेगी। जो ट्रक पहले पहुँचेगा, उसको पहले उतारा जायेगा। ऐसी हालत में अगर ट्रक लाइन लंबी हो जाती है तो ट्रान्सपोर्टर्स को कोई रिटेंशन चार्ज नहीं दिया जायेगा।

6. डी. ओ. जारी होने के पश्चात् ट्रान्सपोर्टर्स को 48 घंटों में गांठे भिजवाने की व्यवस्था करनी होगी तथा गांठों की डिस्पैच के तुरन्त पश्चात् ट्रान्सपोर्टर्स को जी.आर. नंबर व गांठों का विवरण तुरन्त दिन शाखा कार्यालय राजकोट को सूचित करना होगा ।
7. गांठों के लदान व परिवहन के दौरान ट्रान्सपोर्टर्स गांठों की पूरी निगरानी रखेंगा व संभालेगा । परिवहन के दौरान गांठें तिरपालों से ढंकी होनी चाहिये । किसी भी कारणवश परिवहन के दौरान गांठों को होने वाली हानि के लिए ट्रान्सपोर्टर्स स्वयं जिम्मेदार होगा ।
8. ट्रकों की हालत अच्छी होनी चाहिए । अगर ट्रकों में पहले लादा कोयला या अन्य रसायन पदार्थ लगा हो तो ट्रकों की पूरी तरह सफाई करवाकर ही गांठें लोड की जायें ।
9. प्रत्येक ट्रान्सपोर्टर्स को प्रति सप्ताह एक स्टेटमेंट (तालिका) भेजनी अनिवार्य होगी जिसमें लॉट नंबर, गांठों की संख्या, लॉरी रशीद नंबर और डिस्पैच की तिथि स्टेशन जिसको भेजी गई उसका नाम अंकित होना चाहिये ।
10. गांठों की निकासी डी.ओ. प्राप्ति की दिनांक से 2 दिन के अन्दर संबंधित केन्द्र से करवाकर निम्नानुसार गंतव्य स्थान पर पहुँचानी होगी, अन्यथा 2 रुपये प्रति गांठ प्रति दिन की पैनाल्टी ट्रांसपोर्टर्स के बिल से काटी जायेगी ।

गंतव्य स्थल	डी. ओ. की तारीख से 1000 गांठों तक	डी. ओ. तारीख से 1000 गांठों से अधिक
महाराष्ट्र	अधिकतम 08 दिन	अधिकतम 10 दिन
गुजरात	अधिकतम 05 दिन	अधिकतम 07 दिन
अन्य स्थान	अधिकतम 08 दिन	अधिकतम 10 दिन

11. दरें 16.08.2017 से 30.09.2017 तक के लिए मान्य होंगे ।
12. सीलबंद टेन्डर एक बंद लिफाफे में निगम के पत्ते पर भेजना होगा । लिफाफे पर स्पष्ट तौर पर ट्रान्सपोर्टर्स का नाम व यह लिखा होना अनिवार्य है "रुई की गांठों के परिवहन हेतु शोर्ट टेन्डर"
13. यदि दो या दो से अधिक ट्रान्सपोर्टर्स एक ही प्रकार की न्यूनतम दरें भरते हैं तो निगम केवल वही न्यूनतम दर देने वाले परिवहनकर्ता से दोबारा निविदा आमंत्रित करने का एवं दूसरी बार भी समान दरें प्राप्त होने पर आनुपातिक आधार पर कार्य देने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।
14. निगम, किसी भी टेन्डर या सभी टेन्डर या उसके कोई भाग को रद्द करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है ।
15. यदि निविदाकर्ता निविदा की किसी भी शर्तें और / या निविदा की प्रक्रिया के बारे में शा. का. से जानकारी चाहे तो मांग सकता है । इसके अतिरिक्त यदि कोई निविदा अस्वीकृत की जाती है या निविदा दस्तावेज संबंधित निविदाकर्ता को नहीं दिया जाता है तो निविदाकर्ता निविदा को अस्वीकृत करने संबंधी कारण शाखा कार्यालय से मांग सकता है ।

16. टेन्डर फॉर्म में दर्शायी गयी सभी शर्तों के फलस्वरूप यदि कोई विवाद, शक या शंका उत्पन्न होती है तो यह निगम के सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में होगा की उसका क्या निर्णय लिया जावे । ऐसी हालत में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा, किसी प्रकार की कानूनी विवाद के निपटारे के लिये अधिकार क्षेत्र न्यायालय राजकोट होगा ।
17. गांठे लक्षित स्थान पर अच्छी हालत में और उसी जी.आर. के आधार पर सुपुर्द की जानी चाहिए । यातायात के दौरान किसी भी लॉट में अन्य लॉट की गांठों की मिलावट नहीं होनी चाहिए । गांठे सामान्य तौर पर लदान होने के पश्चात् सीधे ही गंतव्य स्थान पर पहुँचानी अनिवार्य होगी । गांठों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु के आधार पर बीच में किसी ट्रान्सशिपमेन्ट के बगैर प्रेषण करना होगा । किसी कारणवश संभव न हो तो एक से ज्यादा ट्रान्सशिपमेन्ट की अनुमति नहीं होगी ।
18. एक ट्रक में सामान्यतः एक ही लॉट की गांठे लॉड की जायेगी । यदि संभव न हो तो दो लॉट से ज्यादा एक ट्रक में मिक्स नहीं कि जायेगी । यदि दो से अधिक लॉट्स की गांठे मिक्स पायी गयी तो 20/- रुपये प्रति गांठ के हिसाब से दण्ड लगेगा ।
19. अन्य किसी कारण से यदि गांठे टु बी बिल्ट के आधार पर भेजी जाती है तो टु बी बिल्ट जाने वाली गांठों का भुगतान बिल प्रेषित के 15 दिन के अंदर किया जायेगा । चैक पोस्ट (नाका पोस्ट) पर चुंगी की अदायगी ट्रान्सपोर्टर्स को नियमानुसार करनी होगी और चुंगी की रशीद प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा । परिवाहक द्वारा राज्य में ट्रक के साथ लागू आवश्यक कागजात (फार्म्स) की व्यवस्था की जाएगी ताकि मार्ग में ट्रकों के किसी प्रकार की रूकावट से बचा जा सके ।
20. **एन.टी.सी. के लिए परिवाहन भाडे का भुगतान एन.टी.सी. मिल के कार्यालय में पूरे ब्यौरे के साथ बिल की प्राप्ति पर मिल द्वारा किया जाएगा ।**  
**स्रोत पर आयकर (टी.डी.एस.) की कटौती नियमानुसार की जाएगी ।**
21. अगर आवश्यक हो, तो गाँठों के डिस्पैच के तुरन्त बाद परिवाहक द्वारा संबंधित पार्टी को मार्गस्थ बीमा (ट्रांजिट इन्शुरेन्स) कवर करने के लिए Fax/E-mail द्वारा भेजा जायेगा ।
22. परिवाहक द्वारा गाँठों की डिलीवरी पानेवाले (कनसाईनी) के निर्देश के अनुसार देनी होगी ।
23. टेन्डर में भरी हुई दरें स्पष्ट होनी चाहिए, जो दरें स्पष्ट नहीं होंगी वह दरें रद्द समझी जाएगी । फैक्स या ई-मेल की कोपी मान्य नहीं होगी । टेन्डर भरनेवाले ट्रान्सपोर्टरो द्वारा उपरोक्त शर्तें ध्यान में लेनी चाहिए । एक बार टेन्डर भरने के बाद यह माना जायेगा की ट्रान्सपोर्टर ने इस फॉर्म में दी गई सभी शर्तें पढली है व इन शर्तों को मानते है और इन शर्तों के अंतर्गत कार्य करनेके लिये तैयार व बाध्य है । ट्रान्सपोर्टर द्वारा टेन्डर में अलग से यदि कोई अपनी शर्त दी जाती है तो यह निगम को किसी कभी हालत में मान्य नहीं होगी ।



24. यदि रास्ते में कोई दुर्घटना / अग्नि दुर्घटना या अन्य घटना हो जाती है तो प्रिलिमिनरी सर्वे कराये बिना वहाँ से ट्रक तथा साल्वेज को तब तक न हटायें जायें जब तक की सर्वे द्वारा सर्वे का काम पूरा नहीं कर लिया जाता है । ट्रान्सपोर्टर का यह भी दायित्व होगा की आवश्यकता पड़ने पर वह प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) / फायर ब्रिगेड रिपोर्ट / नोन डिलिवरी सर्टिफिकेट व पंचनामा आदी की कॉपी प्रस्तुत करें । ट्रान्सपोर्टर्स द्वारा एफ.आई.आर. में अग्नि / दुर्घटना में शामिल गाँठो की विवरणी तथा संख्या की रिपोर्ट निश्चित रूप से दर्ज करानी होगी । क्षति संबंधी आवश्यक प्रमाण पत्र एवं कार्यवाही ट्रान्सपोर्टर द्वारा तुरन्त करनी होगी तथा उसकी सूचना शाखा कार्यालय **राजकोट** को भी तुरन्त देनी होंगी अन्यथा सारी जिम्मेदारी ट्रान्सपोर्टर की ही होगी ।
25. परिवाहक द्वारा जी.आर. में पूरा ब्यौरा, जैसे कन्साईनी (पाने वाले) का नाम, लॉट संख्या, किस्म, पी.आर. नंबर, गाँठो की संख्या, ट्रक नंबर, डी.ओ. नंबर, तारीख, अनुबंध संख्या आदि अनिवार्य आदि अनिवार्य रूप से देनी होगी । ट्रान्सपोर्टर द्वारा पूरे लॉट की मूल बिलटी/जी.आर. जिस पर प्राप्तकर्ता के मोहर सहित हस्ताक्षर हो प्रस्तुत करने परही भुगतान किया जायेगा (जी.आर. की फोटो कॉपी मान्य नहीं होंगी) ।
26. केवल बैंक गारन्टेड ट्रान्सपोर्टरों के शाखा कार्यालय, राजकोट क्षेत्र से संलग्न सूची अनुसार विभिन्न स्थानों पर गाँठो को पहुँचाने के लिये टु पे / टु बी बिल्ड टेन्डर मांगे जाते है ।
27. बैंक गारन्टेड ट्रान्सपोर्टर वे ही माने जायेंगे जिन्होंने निगम के किसी भी कार्यालय में **रु. 8 लाख की बैंक गारन्टी दी हुई है** । टेन्डर फाइनल करते समय ट्रान्सपोर्टर को निगम को बैंक गारन्टी की फॉटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।
28. ट्रान्सपोर्टर अपना कार्यालय राजकोट में रखने की व्यवस्था करेगा । जहाँ उसे डी.ओ. सॉपने की सूचना दी जा सके । टेन्डर भरने वाले ट्रान्सपोर्टर की दिनांक **30.09.2017** तक की बैंक गारन्टी विधिमान्य (**Valid**) होनी चाहिये । यदि किसी ट्रान्सपोर्टर की बैंक गारन्टी अवधि बीच में समाप्त होती है तो उसका नवीनीकरण करवाकर निगम के पास पुनः एक सप्ताह में जमा करवानी होगी अन्यथा उन्हें आबंटित किया गया कार्य निरस्त किया जा सकता है ।
29. बिलो से टी. डी. एस सरचार्ज यदि कोई हो तो तत्कालिन नियमानुसार कांटा जायेगा ।
30. **ट्रान्सपोर्टर दरें भरते समय GST रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी भी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।**
31. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने पर निगम द्वारा नियुक्त आर्बीट्रेटर (जो कि, निगम का कर्मचारी नहीं होगा) को विवाद के निर्णय हेतु मामला सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा व आर्बीट्रेटर, आर्बीट्रेशन व रिकन्सीलेशन एक्ट 1996 के प्रोविजन के अंतर्गत साशित होगा ।

32. टेन्डर पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के संबंध में ट्रान्सपोर्टर द्वारा अपने लेटर पेड पर संलग्न प्रोफोर्मा अनुसार ओथोरिटी पत्र टेन्डर फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
33. जिन परिवहन कर्ताओं की न्यूनतम दरे निगम द्वारा स्वीकृत की जाएगी, उन्हें निगम के साथ 100/- (सौ रुपये) के स्टेम्प पेपर पर निगम द्वारा दिये गये प्रोफोर्मा में टेन्डर फाइनल होने की दिनांक से 15 दिनों में परिवहन अनुबंध करना होगा जिसका खर्च परिवहाक को वहन करना होगा । परिवहन कार्य परिवहन कर्ताओं द्वारा कथित अनुबंध प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आबंटित किया जायेगा ।
34. ट्रान्सपोर्टर द्वारा यदि निर्धारित अवधि में गांठे नहीं उठायी जाती है तो दोषी होने पर यह कार्य किसी अन्य ट्रान्सपोर्टर से प्रचलित मार्केट दर के अनुसार करवाया जायेगा व उससे निगम को होने वाली क्षतीपूर्ति की वसूली संबंधित मूल ट्रान्सपोर्टर से की जायेगी ।
35. टेन्डर भरने वाले ट्रान्सपोर्टर द्वारा स्वयंमेव यह माना जायेगा की उसने टेन्डर संबंधी सभी शर्तों ध्यानपूर्वक पढ ली है व उनका पालन करने के लिये बाध्य है । ट्रान्सपोर्टर टेन्डर संबंधी शर्तों पर अपने हस्ताक्षर व स्टेम्प के साथ टेन्डर फॉर्म के साथ लौटाये ।
36. केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा समस्त प्रकार के लागू होने वाले टेक्स की संपूर्ण जिम्मेदारी परिवहन कर्ता की होगी ।
37. कार्य की आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम दर वाले परिवहन कर्ता की दरों पर कार्य अन्य परिवहन कर्ताओं को देने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा ।
38. कर में छुट का सर्टिफिकेट परिवहनकर्ता को इस टेन्डर फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा तथा उसकी वैधता भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये ।
39. एन.टी.सी. मिलों के संदर्भ में गांठे डी. ओ. की तारीख से 10 दिनों के अंदर गंतव्य स्थान पर पहुंच जानी चाहिए अन्यथा विलंब अवधि के लिये प्रति गांठ / प्रति दिन रू. 5/- की दर से सामान्य परिस्थितियों में जुर्माना (अर्थ दंड) वसूल किया जायेगा ।
40. गांठों के परिवहन संबंधित कार्य में दोषी होने पर यदि निगम को कोई आर्थिक नुकसान होता है तो ट्रान्सपोर्टर द्वारा दी गई बैंक गारन्टी कैश करवा ली जायेगी, नुकसान राशि बैंक गारन्टी से अधिक होने पर बकाया राशि की वसूली निगम परिवहाक से करने का हकदार होगा तथा ट्रान्सपोर्टर्स को ब्लेक लिस्ट करते हुए कानूनी कार्यवाई की जा सकती है ।
41. इस अनुबंध के अधिन जारी किये गये सभी डी.ओ. को एक ही अनुबंध का ही भाग समझा जायेगा । किसी डी.ओ. का काम करने में असफल होने पर, परिणामस्वरूप निगम को कोई हानी होती है या किसी डी.ओ. के विरुद्ध किसी प्रभार से वसूली का कारण बनता है, तब इन प्रकार की हानियों या वसूलियों को 18 % ब्याज के साथ इस अनुबंध के अधिन जारी किसी अन्य डी.ओ. से अथवा निगम की किसी अन्य शाखा द्वारा ट्रान्सपोर्टर के देय राशि मेसे / साथ समायोजन किया जायेगा ।

42. गांठे लोडिंग करने से पहले सुनिश्चित किया जाये कि सभी गांठो की पैकिंग योग्य है । सभी गांठो की पत्ती ठिक ढंग से लगी है और कोई भी गांठ खुली/खुलने की हालत में नहीं है । हैसियन/क्लोथ की सिलाई ढंग से की गई है । गांठे उठाने के समय परिवाहक को अपनी कंपनी के लेटरपेड पर गांठे सही स्थिति में ली गई है ऐसा प्रमाणपत्र लिखकर देना होगा ।
43. यदि एक ही लॉट की गांठे दो अलग-अलग तिथियों में पहुँचती है तो बाद में पहुँची गांठो की तिथी ही पूरे लॉट के लिये मान्य होगी ।
44. यदि टेन्डर फॉर्म में टेन्डरकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होंगे तो उसका टेन्डर स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
45. यदि टेन्डर फॉर्म के साथ नियम एवं शर्ते निविदाकर्ता द्वारा संलग्न नहीं किया हो या हस्ताक्षरित न होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि निविदाकर्ता ने नियम एवं शर्ते पढ़ली है एवं उसे मंजूर है ।
46. इस परिवहन टेन्डर के साथ "Declaration under Section 194C(6) for Non-deduction of Tax at Source" प्रमाणपत्र संलग्न है, जिसे पुर्णरूप से भरकर टेन्डर फोर्म के साथ लगाना आवश्यक है, तथा इस प्रमाणपत्र में दी गई शर्तो का अनुपालन अनिवार्य है ।

मैने निगम की शर्ते पढ़ली है, जो मूझे मान्य है ।

हस्ताक्षर -----

ट्रान्सपोर्टर का नाम -----

